अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0–69–133/2012

अपीलार्थी – श्रीमती तिलिया देवी .

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक1430. /प्रो0 दिनांक 24.09.2012 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस आँगनबाड़ी अपीलवाद में आरोप यह है कि श्रीमती ललिता कुमारी महिला पर्यवेक्षिका छातापुर द्वारा राघोपुर परियोजना के केन्द्र सं0– 117 कोरियापट्टी दक्षिण के केन्द्र का निरीक्षण दिनांक 28.06.2012 को किया गया। निरीक्षण के समय केन्द्र की सहायिका श्रीमती तिलिया देवी दिनांक 26.06.2012 से ही बिना सूचना के अनुपस्थित पायी गई। इस संबंध में सहायिका तिलिया देवी से पत्रांक 1161/प्रो0 दिनांक 09.08.2012 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई एवं निर्देशित किया गया कि वे अपना स्पष्टीकरण 25.08. 2012 को समर्पित करें निर्धारित तिथि को सहायिका ने अपना स्पष्टीकरण /जबाव समर्पित किए।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में की गई, जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता /सरकारी अधिवक्ता ने भाग लिया एवं अपना –अपना पक्ष,साक्ष्य/कागजात प्रस्तुत किए। अपीलर्थी के अधिवक्ता ने बताया कि सहायिका श्रीमती

तिलिया देवी अकस्मात काफी बीमार (अस्वस्थ) हो गई जिसके कारण ईलाज कराने वास्ते मधेपुरा जिला के सिहेंश्वर चली गई। उन्होंने यह भी बताया कि 23.06.2012 को केन्द्र संचालन के बाद अस्वस्थता स्थिति में पहली प्रारंभिक चिकित्सा डॉ0 विश्वनाथ सराफ (M.B.B.S) त्रिवेणीगंज से कराई फिर भी सुधार न होने की स्थिति के 28.06.2012 को डॉ0एल0पी0 भगत (M.B.B.S) वरीय चिकित्सा पदाधिकारी से दिखलाई एवं pathology test भी कराना पड़ा बावजूद सभी चिकित्सा पूर्जा/रिर्पोट को नकारते हुए अनुमान (संदेह) के आधार कि सहायिका फरार है, चयन मुक्त आदेश देना जो त्रुटिपूर्ण निर्णय है नैसर्गिक न्याय के सर्वथा विपरीत है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि अस्वस्थता की स्थिति में ईलाज हेतु जाना प्रर्याप्त कारण है। उन्होंने बताया कि अगर सहायिका 26.06.2012 से 28.06.2012 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रही थी तो इसकी proper enquiry करानी जानी चाहिए कि वास्तव में सहायिका अस्वस्थ होने की स्थिति में केन्द्र पर नहीं आई या French छुट्टी का उपयोग की है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपने पारित आदेश में यह निर्देशित किए है कि (Girija devi vrs state) proper enquiry के आधार पर निर्णय अंतिम लेना सही है, न कि अनुमान लगा करके निर्णय लेना।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय C.W.J.C.No- 18817/2012 के अनुसार यह बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को चिकित्सक पूर्जा छुट्टी आवेदन पर अविश्वास होने की स्थिति में इसका सत्यापन कराया जाना अनिवार्य था। जो नहीं कराया गया,एवं चयन मुक्ति आदेश देना सही निर्णय नहीं प्रतीत होता है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि विभागीय मार्गदर्शिका में यह भी अंकित है कि अगर सहायिका लगातार 15 दिनों तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहती है वैसी स्थिति में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर जिला पदाधिकारी ही उसे चयन मुक्त करेंगे। यहां तो सहायिका अस्वस्थता के कारण मात्र 26.6.2012 से 28.06.2012 तक मात्र तीन दिन ही प्रर्याप्त कारण (बीमारी) के कारण अनुपस्थिति रही है ऐसी स्थिति में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश खंडित करने योग्य है । स्वस्थ होकर सहायिका ने पुनः दिनांक 29.06.2012 को अपना Duty Join सेविका के पास की है। इससे समझा जा सकता है कि सहायिका अपने कार्य के प्रति सचेष्ट

एवं कार्य के प्रति मुस्तैद रहने वाली महिला है ।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं निष्कर्षो के आधार पर कहा जा सकता है कि स्वाभाविक बात है कि कोई भी व्यक्ति कार्य करते –करते वर्ष में एक –दो बार अस्वस्थ हो जाता है। अस्वस्थ होगा तो ईलाज हेतु सर्वप्रथम चिकित्सक के पास जायेगा, यह तो Routine circle है इसे नकारा नहीं जा सकता है आज कल के दुषित वातावरण में जो व्यक्ति स्वस्थ है उसे भगवान का दुआ मानना चाहिए अन्यथा ज्यादा तर लोग कोई न कोई बीमारी से ग्रसित है, अतः अस्वस्थता (बीमारी) को संदेह (अनुमान) लगाकर सहायिका की बाते अनुसुनी करना उचित निर्णय नहीं है, इसे खंडित किया जाता है। तथा सहायिका को आदेश निर्गत तिथि से सहायिका के पद पर बरकरार रखा जाता है।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.5.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.5.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा